

प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्मल, स्थित चन्दौसी।

प्रशासनिक आदेश संख्या : ९७ / 2020,

दिनांक-07.05.2020

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक-1091/IV-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित-05.05.2020 के अनुपालन में दिनांक-08.05.2020 से जनपद न्यायालय, सम्मल स्थित चन्दौसी को उपरोक्त पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुरूप सुनवाई हेतु खोले जाने के संबंध में प्रशासनिक आदेश सं०-95./2020 दिनांक-06.05.2020 को पारित किया जा चुका है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से निम्न वर्णित न्यायालयों में सुनवाई किये जाने हेतु निम्न टाईम स्लॉट निर्धारित किए जाते हैं:-

1. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्मल स्थित चन्दौसी 10.30 से 11.30 AM
2. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट), सम्मल स्थित चन्दौसी, 11.30 से 12.30 PM
3. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्मल स्थित चन्दौसी। 12.30 से 01.30 PM
4. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रिप केसेस एवं पॉक्सो एक्ट),/ विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट/एस०सी०एस०टी० एक्ट/ गैंगस्टर एक्ट, सम्मल स्थित चन्दौसी, 02.00 से 03.00 PM

AK Tripathi

(अश्विनी कुमार त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
सम्मल स्थित चन्दौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण,
2. अध्यक्ष, चन्दौसी बार एसोसिएशन, चन्दौसी, जिला सम्मल,
3. संयुक्त निदेशक, अभियोजन, सम्मल,
4. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), सम्मल,

AK Tripathi

जनपद न्यायाधीश,
सम्मल स्थित चन्दौसी।